

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
“कार्यालय आदेश”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 एवं शासनादेश संख्या 198739 / XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च 2024 में निहित प्राविधानानुसार विभागाध्यक्ष स्तर पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित पशुधन प्रसार अधिकारियों के स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किये जाते हैं :—

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र.सं.	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अबसार अहमद, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशुसेवा केन्द्र थाती, बूढ़ाकेदार, टिहरी	पशुसेवा केन्द्र विनायक, जनपद अल्मोड़ा	अनुरोध के आधार पर
2	श्री प्रवीन कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशुसेवा केन्द्र बज्युला, बागेश्वर	पशुसेवा केन्द्र बादशाहपुर, जनपद हरिद्वार	अनुरोध के आधार पर
3	श्री प्रवीन सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी	राजकीय पशुप्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी, देहरादून	पशुसेवा केन्द्र बब्बरपुर, जनपद उधमसिंहनगर	अनुरोध के आधार पर
4	श्री अश्वनी कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशुसेवा केन्द्र दुदली, जनपद नैनीताल	पशुसेवा केन्द्र, बीरोंधनपुर, जनपद रुद्रप्रयाग	अनुरोध के आधार पर

सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यमुक्त होकर निर्धारित समयान्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं है।

(डा०नीरज सिंघल)
निदेशक।

संख्या १४४५ / स्थानेक / वा०स्थाना०(प०प्र०आ०) / 2024–25 दिनांक ३। जुलाई, 2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल(हल्द्वानी), नैनीताल।
4. सम्बन्धित परियोजना निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी।
7. उपरोक्त सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।

(डा०नीरज सिंघल)
निदेशक।